न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **19/2018 अपील रसद**

क्रय विक्रय सहकारी समिति भीण्डर जरिये व्यवस्थापक महिपालसिंह बाघेला पिता श्री इन्द्रसिंह राजपुत, निवासी भीण्डर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....**अपीलार्थी**

बनाम

सरकार, जरिये प्रवर्तन अधिकरी, उदयपुर (राज.)

.....**रेस्पोडेंट**

अपील विरूद्ध आदेश कार्यालय जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर मुकदमा नम्बर 108/16 रसद तारीख फैसल 10.05.18 अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

उपस्थितः— श्री सुखराम डिडेल, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री विजयसिंह, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक—13.12.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा तहसील वल्लभनगर की समस्त उचित मुल्य की दुकानो पर खाद्य सामग्री, गेहूॅ चीनी की आपूर्ति करने का कार्य किया जाता हैं। अपीलान्ट ने स्टेट वेयर हाउस फतहनगर से दिनांक 29.07.16 को 278 बोरी गेहूॅ वजन 139 क्विंटल गेहूॅ रसीद बूक संख्या 3347 क्रम संख्या 38 से ट्रक संख्या आरजे 27 जीबी 7689 में भरकर उचित मुल्य की दुकान भटेवर बी पर खाली करने हेतु रवाना किया गया। अपीलान्ट की उक्त ट्रक ने भटेवर

बी सेन्टर के डीलर बाबूलाल के यहॉ पर 139 क्विंटल गेहूॅ खाली कर प्राप्ति रसीद दिनांक 29.07.16 को प्राप्त की गई। उचित मुल्य की दुकान पर खाली करने तक की जिम्मेदारी अपीलान्ट की थी उसके बाद डीलर की जिम्मेदारी रहती हैं। डीलर ने अपीलान्ट द्वारा खाली किये गये गेहूॅ को अन्यत्र ले जाने की वजह से डीलर के विरूद्ध प्रकरण बनाया गया। जबकि अपीलान्ट का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं रहा। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाब का पूर्ण अवसर दिये बिना ही तथा पेशी तारीखे बताये बिना अपनी मर्जी से निर्णय दिनांक 10.05.18 को पारित किया। जो न्याय व विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जावें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.05.18 मे यह लिखा है कि ''खाद्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार खाद्यान्न थोक विक्रेता का कार्य क्रय विक्रय सहकारी समितियॉ से हटकर खाद्य आपूर्ति निगम को दे दिया गया है, इस प्रकार वर्तमान में क्रय विक्रय सहकारी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्रय विक्रय सहकारी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत थोक विक्रेता का कार्य नहीं कर रही है, इसलिये प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए प्रकरण निस्तारित करने का आदेश दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय को केवल लाईसेन्स से संबंधित अधिकार हैं। कार्य सहकारी समिति करे या अन्य कोई करें इससे कोई संबंध नहीं हैं। अपीलान्ट सहकारी समिति है तथा जिला रसद अधिकारी द्वारा लाईसेंस जारी किया है इसलिये लाईसेंस की शर्तो की अवहेलना करने पर ही लाईसेंस निरस्त किया जाता हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.08.17 के बाद ना तो पेशी तारीख दी गई, नाही सुनवाई की गई, ना जवाब का अवसर दिया। फर्द अहकाम पर अनाधिकृत व्यक्ति नवलसिंह के हस्ताक्षर है जबकि नवलसिंह को रीडर के पद पर नहीं लगाया। नवलसिंह चपरासी से एल डी सी के पद पर पदोन्नत किया है इसलिये सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना समस्त कार्य अवैध हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं

आता हैं। अपीलान्ट ने लाईसेंस के किसी भी खण्ड, क्लॉज या शर्तो की अवहेलना नहीं की है, नाही अपीलान्ट ने किसी प्रकार का कोई अपराध किया है नाही अपराध करने का कोई मिनसरिया ही था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट की प्रतिभूति राशि व लाईसेंस को बहाल करने का आदेश फरमावा जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी क्रय विक्रय सहकारी समिति भीण्डर द्वारा तहसील वल्लभनगर उदयपुर की समस्त उचित मुल्य की दुकानो पर खाद्य सामग्री आपूर्ति करने का कार्य किया जाता है। अपीलान्ट ने स्टेट वेयर हाउस फतहनगर से दिनांक 29.07.16 को 278 बोरी गेहॅू वजन 139 क्विंटल रसीद संख्या 3347 क्रम संख्या 38 से ट्रक संख्या आर जे 27 जीबी 7689 में भरकर उचित मुल्य की दुकान भटेवर बी पर खाली करने हेतु रवाना किया गया। अपीलान्ट की उक्त ट्रक में भटेवर बी सेन्टर के डीलर बाबुलाल के यहॉ पर 139 क्विंटल गेहूॅ खाली कर प्राप्ति रसीद दिनांक 29.07.16 को प्राप्त की गई। उचित मुल्य की दुकान पर खाली करने तक की जिम्मेदारी अपीलान्ट की थी। उसके बाद डीलर ही जिम्मेदारी रहती हैं। यदि डीलर द्वारा खाली किये गये गेहूॅ को अन्य जगह ले जाया गया है व उसके विरूद्ध प्रकरण बनाया गया है तो उसमें अपीलान्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब का पूर्ण अवसर दिये बिना ही पेशी तारीख बताये बिना अपनी मर्जी से निर्णय दिनांक 10.05.18 को पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.05.18 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की गैर मौजुदगी में निर्णय पारित कर दिया गया

जबकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 29.07.16 को सेन्टर भटेवर बी पर पहूॅच कर पूर्ण गेहूॅ खाली कर गेहूॅ पहूॅच की प्राप्ति रसीद भी प्राप्त की गई। डीलर की दुकान पर गेहूॅ खाली करने तक की जिम्मेदारी अपीलान्ट की होती है उसके बाद डीलर की जिम्मेदारी होती हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र इस आधार पर खारीज कर दिया गया कि खाद्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार खाद्यान्न थोक विक्रेता का कार्य क्रय विक्रय सहकारी समिति से हटकर खाद्य आपूर्ति निगम को दे दिया गया हैं। इस प्रकार वर्तमान में क्रय विक्रय सहकारी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्रय विक्रय सहकारी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत थोक विक्रेता का कार्य नहीं कर रही हैं। जबकि अपीलान्ट सहकारी समिति है जिसका लाईसेंस भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया हैं। यदि किसी लाईसेंस की शर्तो का उल्लंघन किया गया है तो कानुन को ध्यान में रखते हुए लाईसेंस खारीज किया जा सकता हैं। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा किसी भी लाईसेंस की शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। इसके उपरान्त भी प्राधिकार पत्र खारीज कर दिया गया है जो गैर कानुनी हैं। अतः अपीलान्ट की प्रतिभूति राशि व लाईसेंस को बहाल करने का आदेश फरमाया जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलान्ट के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा तहसील वल्लभनगर उदयपुर की समस्त उचित मुल्य की दुकानो पर खाद्य सामग्री गेहूॅ चीनी का आपूर्ति करने का कार्य किया जाता रहा हैं। दिनांक 29.07.16 को भटेवर बी सेन्टर के 139 क्विंटल गेहूॅ जो 278 कट्टो में भरा था जो वाहन संख्या आर जे 27 जीबी 7689 से चालान संख्या 468 दिनांक 29.07.16 से भेजा गया था। मौके पर अपीलान्ट के प्रतिनिधि द्वारा 127 कट्टे ही सेन्टर पर खाली किये गये। जिसे ग्रामीणो द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया व बिल्टी की ग्रामवासियो द्वारा जॉच करने पर पाया कि सेन्टर पर गेहूॅ 278

कट्टे दर्ज होना पाया गया हैं। ग्राम वासियो द्वारा वाहन चालक से पूछने पर उसके द्वारा बताया कि शेष गेहूॅ जोर जी का खेड़ा में बड़ी नहर के पास स्थित देवीलाल भाट के कुॅए पर खाली किये गये हैं। जिसकी सूचना ग्रामवासियो द्वारा पुलिस खेरोदा को दी गई। पुलिस द्वारा उक्त गेहूॅ को अग्रीम जॉच हेतु अपनी अभिरक्षा में लिया गया। इस प्रकार अपीलान्ट के प्रतिनिधि द्वारा की गई कार्यवाही गेहूॅ का अवैध लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से कालाबाजारी की नियत से गेहूॅ का डायवर्शन किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3 (2) 6 व 7 तथा इसी आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्याा 5, 11 व 18 का उल्लंघन किया गया हैं। अपीलान्ट का उक्त कृत्य प्रथम दृष्ट्या राशन सामग्री वितरण की गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश प्रदान किया गया है वह आदेश कानुन सम्मत होने से यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारीत किया गया है उसमें अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र खाद्यान्न एवं नागरीक आपूर्ति विभाग के आदेश की पालना में खारीज किया गया हैं। न्यायालय द्वारा खाद्यान्न एवं नागरीक आपूर्ति विभाग के आदेश दिनांक 07.07.14, 30.04.14 का भी अध्ययन किया गया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जो कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.08.16 का जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस में जो भी आरोप अपीलान्ट पर आरोपित किये गये है उसका विवरण अपने आदेश में नहीं दिया गया हैं। दिया गया आदेश मात्र नॉन स्पिकींग आदेश हैं। जिसमें अपीलान्ट को दिये गये प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन पाया जाना

साबित नहीं होता हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का जवाब भी प्राप्त नहीं किया हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.05.18 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया जाकर यह निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट का जवाब विधिवत लिया जाकर प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर स्पीकिंग आदेश पारीत किया जावें।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर